

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

विज्ञप्ति संख्या : पी.आर. / 2024

ERC NCTE से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्बद्धता प्रदत्त सरकारी एवं निजी प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण सत्र 2024-26 में नामांकन के संबंध में डी०एल०एड० संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2024 उत्तीर्ण विद्यार्थियों एवं संबंधित प्राचार्य के लिये आवश्यक सूचना।

दिनांक 01.04.2024 से 30.04.2024 तक की अवधि में आयोजित डी०एल०एड० संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के परीक्षाफल (Score Card) के आधार पर राज्य अन्तर्गत डी०एल०एड० कोर्स संचालित ERC NCTE से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्बद्धता प्रदत्त सरकारी एवं निजी प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रशिक्षण सत्र 2024-26 में ऑनलाइन प्रणाली से संस्थान आवंटन किए जाने की कारवाई की जा रही है। ऑनलाइन नामांकन हेतु आवेदन एवं शुल्क तथा प्रशिक्षण संस्थानों का विकल्प प्राथमिकता के आधार पर भरने हेतु दिनांक 20.06.2024 से 26.06.2024 तक की तिथि निर्धारित की गई है। अतः उक्त कोटि के प्रशिक्षण संस्थानों में डी०एल०एड० पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु इच्छुक एवं डी०एल०एड० संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2024 में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण विद्यार्थी दिनांक 20.06.2024 से 26.06.2024 तक की उक्त अवधि में ऑनलाइन माध्यम से आवेदन एवं शुल्क जमा करना सुनिश्चित करेंगे। आवेदक द्वारा Common Application form (CAF) भरकर आवेदन पूर्ण किया जाएगा। निबंधित मोबाइल संख्या पर OTP डालने पर आवेदन स्वीकार होगा। आवेदक का आई.डी. उनका रोल नं० एवं पासवर्ड जन्म तिथि आधारित होगा। ऑनलाइन आवेदन हेतु समिति का पोर्टल <https://www.deledbihar.com> उक्त अवधि में खुला रहेगा।

2. प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु शैक्षणिक योग्यता :-

- उच्च माध्यमिक (+2) अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंकों वाले उम्मीदवार डी०एल०एड० पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र हैं।
- नामांकन हेतु सभी आरक्षित कोटि/निःशक्त उम्मीदवारों के लिए अर्हता अंकों में 5% की छूट होगी।
- 50 प्रतिशत अंकों के साथ मौलवी की परीक्षा पास करने वाले उर्दू अभ्यर्थी डी०एल०एड० पाठ्यक्रम में नामांकन के पात्र होंगे।
- वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने 10+2 में वोकेशनल कोर्स के अन्तर्गत योग्यता हासिल की है अथवा जिन्होंने मध्यमा के बाद इण्टर, 10+2 अथवा फौकानिया के बाद इण्टर, 10+2 की योग्यता हासिल की है वे डी०एल०एड० कोर्स में नामांकन के पात्र होंगे।
- निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-12/विविध-11/2016 (अंश)-715 दिनांक 13.12.2022 के आलोक में वैसे अभ्यर्थी जो शास्त्री, पॉलिटेक्निक, आई.टी.आई. या अन्य प्रकार की योग्यता रखते हैं, वे डी०एल०एड० कोर्स में नामांकन के पात्र नहीं होंगे।

नोट : डी०एल०एड० संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2024 हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या पी०आर० 46/2024 की कंडिका 2 (iv) के माध्यम से उक्त परीक्षा में वर्ष 2024 की उच्च माध्यमिक (+2) अथवा इसके समकक्ष की वार्षिक परीक्षा 2024 में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को भी सम्मिलित होने की अनुमति दी गई थी। चूंकि डी०एल०एड० संस्थानों में नामांकन हेतु उम्मीदवारों को उच्च माध्यमिक (+2) अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों से (सभी आरक्षित कोटि एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम निर्धारित अंकों में 5 प्रतिशत छूट) उत्तीर्ण होना आवश्यक है, अतः उच्च माध्यमिक (+2) अथवा इसके समकक्ष की वार्षिक परीक्षा 2024 में उपर्युक्त निर्धारित प्राप्तांक प्रतिशत से कम अंक प्राप्त परीक्षार्थी डी०एल०एड० संस्थानों में नामांकन हेतु तथा तदनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने हेतु पात्र नहीं हैं, भले ही वे डी०एल०एड० संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2024 में उत्तीर्ण घोषित हुए हों।

3. उम्र सीमा (Age Limit) :- अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र सीमा 17 वर्ष (नामांकन वर्ष के प्रथम माह की प्रथम तिथि को) सभी कोटि के लिए।

4. आरक्षण (Reservation)

(क) उर्ध्वार आरक्षण (Vertical Reservation) डी०एल०एड० (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में) प्रवेश में अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST), पिछड़ा वर्ग (BC), अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (EBC) एवं आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों (EWS) के पक्ष में क्रमशः 20 प्रतिशत, 02 प्रतिशत, 18 प्रतिशत, 25 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत की सीमा तक आरक्षण बिहार सरकार की अधिसूचना/शासनादेश के अनुसार देय होगा।

(ख) क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation)

(i) सरकारी नियमानुसार कुल स्वीकृत सीटों में से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए पाँच प्रतिशत (5%), बिहार राज्य के निवासी सेवारत/सेवानिवृत्त/दिवंगत/भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी के आश्रित पुत्र/आश्रित अविवाहित पुत्री को पाँच प्रतिशत (5%) क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(ii) उर्दू विषय के अभ्यर्थियों के लिए दस प्रतिशत (10%) स्थान आरक्षित होगा। क्षैतिज आरक्षण के रूप में यह आरक्षण लागू होगा, परंतु यह आरक्षण लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्होंने +2 स्तर की परीक्षा में उत्तीर्णता उर्दू विषय के साथ हासिल की है।

(iii) सभी संस्थानों में कुल सीट का 50 प्रतिशत विज्ञान तथा 50 प्रतिशत कला/वाणिज्य अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा।

5. ERC NCTE से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्बद्धता प्रदत्त राज्य के निजी प्रशिक्षण महाविद्यालयों में नामांकन हेतु आरक्षण का प्रभावी प्रावधान :- विभागीय पत्रांक 12/विविध-11/2016(अंश-1)-07 दिनांक 06.01.2023 में अंकित है कि "The Bihar (In Admission in educational Institution) Reservation Act 2003 के अनुसार "To provide for adequate representation of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes in Admission at all levels and in all kinds of educational Institutions such as General, Technical, Non-Technical, Commercial, etc. either fully or partially aided by the state Government." अर्थात् डी०एल०एड० कोर्स संचालित राज्य से पूर्णतः या अंशतः वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थानों में ही आरक्षण का प्रावधान प्रभावी है।

6. निजी प्रशिक्षण संस्थानों में दो वर्षीय डी०एल०एड० कोर्स के लिए अधिकतम शुल्क:- संयुक्त सचिव, शोध एवं प्रशिक्षण, शिक्षा विभाग, पटना के ज्ञापांक 12/प्रशिक्षण-01/2016 (अंश-1)- 343 दिनांक 03.07.2023 द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से राज्य के गैर-सरकारी स्व-वित्तपोषित प्रशिक्षण संस्थानों में दो वर्षीय डी०एल०एड० कोर्स के लिए शैक्षणिक सत्र 2023-25 से प्रति छात्र अधिकतम 60,000/- (साठ हजार) रुपये वार्षिक शुल्क तथा कुल दो वर्ष के सम्पूर्ण कोर्स हेतु प्रति छात्र अधिकतम 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार) रुपये मात्र शुल्क निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त निर्धारित शुल्क अधिकतम है। शुल्क निर्धारण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा डी०एल०एड० कोर्स के लिए शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की निर्धारित आवश्यक संख्या के आधार पर हुआ है। अतः वेतनादि पर कम व्यय होने पर नामांकन शुल्क के रूप में ली जाने वाली राशि उसी अनुपात में कम हो जाएगी जिस अनुपात में व्यय कम होगा। इस शुल्क संरचना को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्बद्ध उक्त कोटि के संस्थानों द्वारा लागू किया जाना बाध्यकारी है। संबंधित महाविद्यालय उपर्युक्त का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

7. आवेदन करने पर विद्यार्थियों हेतु समर्पित करने वाले उनके Score Card में RANK, उनके आरक्षण कोटि तथा उनके द्वारा दिये गये संस्थान के विकल्प के आधार पर डी०एल०एड० कोर्स

2

2

2

संचालित संस्थानों में नामांकन हेतु समिति द्वारा दिनांक **02.07.2024** को प्रथम चयन सूची प्रकाशित की जायेगी। उक्त सूची में चयनित विद्यार्थियों का संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों में दिनांक **03.07.2024** से **08.07.2024** तक नामांकन किया जाएगा।

8. नामांकन की अवधि में सभी प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्य/विभागाध्यक्ष तथा शिक्षकेतर कर्मियों को उपरिष्ठत रहना अनिवार्य है, जो इन विद्यार्थियों के नामांकन संबंधित सभी कार्य करना सुनिश्चित करेंगे। नामांकन कार्य रविवार को भी किया जायेगा। डी0एल0एड0 कोर्स में नामांकन के लिये विद्यार्थियों की सुविधा के लिये आवश्यकता का आकलन कर पर्याप्त संख्या में काउन्टरों की व्यवस्था की जाएगी, जिससे नामांकन की प्रक्रिया सुगम हो सके।

9. डी0एल0एड0 संबद्धता कोषांग के माध्यम से ERC NCTE से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्बद्धता प्रदत्त राज्य के सरकारी एवं निजी डी0एल0एड0 कोर्स संचालित संस्थानों में नामांकन हेतु अभ्यर्थियों का चयन निम्नांकित बिन्दुओं के आधार पर की जाएगी :-

क. विद्यार्थियों के प्रवेश परीक्षा का Score (Rank)

ख. डी0एल0एड0 कोर्स संचालित महाविद्यालयों में स्वीकृत सीट की संख्या

ग. विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गये संस्थान के विकल्प

घ. आरक्षण संबंधी राज्य सरकार के प्रभावी प्रावधान

9.1 डी0एल0एड0 संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2024 में अनुत्तीर्ण किसी भी आवेदक का किसी भी संस्थान में नामांकन हेतु चयन नहीं किया जाएगा।

9.2 अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में समिति द्वारा डी0एल0एड0 संस्थान में नामांकन हेतु प्रथम चयन सूची (First Selection List) दिनांक **02.07.2024** को जारी की जाएगी, जिसे संबंधित संस्थान को उनके Login ID पर भेज दिया जायेगा। Cut Off Rank (आरक्षण श्रेणीवार) भी समिति के Portal पर दिनांक **02.07.2024** को जारी की जाएगी, जिसे आवेदक समिति के पोर्टल <https://www.deledbihar.com> पर देख सकते हैं। इसके साथ ही सभी आवेदकों को उनके Login ID में प्रथम सूचना पत्र (Intimation Letter) भी जारी किया जाएगा, जिसे वे Portal पर अपना ID एवं Password डालकर देख सकते हैं तथा Download कर सकते हैं। इस हेतु सभी चयनितों को SMS भी भेजा जायेगा।

9.3 निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 264, दिनांक 10.05.2024 से प्राप्त निदेश के आलोक में मेधा अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम सरकारी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण नियमों एवं अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए विकल्प का अनुपालन करते हुए शतप्रतिशत नामांकन के उपरान्त ही गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में नामांकन की अग्रेतर कारवाई की जाएगी।

10. चयनित आवेदक संबंधित संस्थान के प्राचार्य से सम्पर्क स्थापित करेंगे। संबंधित डी0एल0एड0 कोर्स संचालित संस्थान के प्राचार्य उक्त सूचना पत्र (Intimation Letter) एवं डाउनलोड एवं प्रिंट किये गये सूचना पत्र (Intimation Letter), Common Application Form का प्रिंट आउट सहित अन्य सभी मूल अभिलेख यथा- 10वीं बोर्ड परीक्षा का अंक पत्रक, उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, 12वीं0 परीक्षा का अंक पत्रक, प्रमाण पत्र, महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, प्रवजन प्रमाण पत्र, आचरण प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा कोई अन्य प्रमाण पत्र जो आवंटित संस्थान द्वारा माँगी जाय तथा उन प्रमाण पत्रों की स्वहस्तक्षारित दो-दो प्रतिलिपि एवं पासपोर्ट आकार के पाँच रंगीन फोटो लेकर संबंधित प्राचार्य से सम्पर्क कर अपना नामांकन करायेंगे। प्राचार्य नामांकन के पूर्व मूल से मिलान कर विद्यार्थी का नामांकन लेंगे एवं Portal पर प्रशिक्षण संस्थान के User ID एवं Password के माध्यम से संबंधित विद्यार्थी के नामांकन की सूचना संख्या 5:00 बजे के उपरांत प्रतिदिन अद्यतन (Updation) करेंगे। प्रथम चयन सूची (First Selection List) के आधार पर आवेदक दिनांक **03.07.2024** से **08.07.2024** तक की अवधि में अपने आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन ले

सकते हैं। विद्यार्थियों के लिये यह आवश्यक है कि निर्धारित तिथि 03.07.2024 से 08.07.2024 तक वे अपना नामांकन चयनित संस्थान में अवश्य करा लें। नामांकन नहीं कराने की स्थिति में उनके नाम पर द्वितीय चयन सूची में विचार नहीं किया जायेगा अर्थात् उनका नाम सूची से हटा दिया जायेगा।

11. **स्लाइड अप (Slide Up) प्रक्रिया** :- यदि आवेदक प्रथम चरण में निचली प्राथमिकता वाले संस्थान में चुने जाने पर संतुष्ट नहीं है, जैसे विद्यार्थी अपने नामांकन के उपरांत दिनांक 03.07.2024 से 08.07.2024 तक पोर्टल के माध्यम से Student Login में जाकर अपने द्वारा दिये गये उच्च प्राथमिकता वाले संस्थानों में नामांकन की संभावना हेतु Slide Up विकल्प का उपयोग कर सकते हैं, परन्तु नया विकल्प जोड़ अथवा बदल नहीं सकते हैं। Slide Up विकल्प चुनने के पश्चात् दूसरी सूची में विद्यार्थी के उनके द्वारा आवेदन पत्र में पहले से भरे गये उच्च प्राथमिकता वाले विकल्पों में से किसी संस्थान का चयन होने की सम्भावना रहती है, परन्तु द्वितीय सूची में आवेदक का नाम चयनित होने के साथ ही उनका स्थान पूर्व आवंटित संस्थान की प्रथम सूची से रिक्त हो जायेगा।

12. जिन विद्यार्थियों को प्रथम चरण में जो प्रशिक्षण संस्थान आवंटित हुआ है वे अनिवार्य रूप से 3000/- (तीन हजार रुपया) मात्र सुरक्षा राशि आवंटित संस्थान में जमा कर नामांकन लेना सुनिश्चित करेंगे, तभी उनके पास स्लाइड-अप का विकल्प होगा। यह केवल सरकारी एवं गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों दोनों पर लागू होगा।

13. जो आवेदक सूचना पत्र पर आवंटित संस्थान में निर्धारित अवधि तक नामांकन नहीं लेते हैं, जैसे आवेदकों का अभ्यर्थित्व अगले चरणों के लिए समाप्त हो जाएगा।

14. डी0एल0एड0 प्रवेश परीक्षा, 2024 में उत्तीर्ण जिन अभ्यर्थियों के द्वारा ससमय ऑनलाइन आवेदन (CAF) भरा जाएगा, मात्र उन्हीं आवेदकों का नाम चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। निर्धारित अवधि में ऑनलाइन आवेदन जमा नहीं किए जाने वाले डी0एल0एड0 प्रवेश परीक्षा, 2024 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा एवं तदनुसार ऐसे अभ्यर्थियों का नामांकन किसी भी संस्थान में नहीं होगा।

15. प्रथम चयन सूची में जिन विद्यार्थियों का चयन नहीं हो पाता है इनका नाम पर स्वीकृत सीट संख्या के साथ प्रदर्शित सूची के संस्थानों में रिक्त रहने की स्थिति में द्वितीय/तृतीय चयन सूची (2nd/3rd Selection List) के लिए विचार किया जाएगा। ऐसे विद्यार्थी पोर्टल पर पूर्व में सामान्य आवेदन प्रपत्र (CAF) में भरे गये (चयनित) विकल्पों में यदि चाहें तो प्रथम चयन सूची के आधार पर नामांकन की निर्धारित अवधि के पश्चात् रिक्त सीट से संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन हेतु पूर्व में दिये गये विकल्प को संशोधित कर सकते हैं।

16. डी0एल0एड0 कोर्स संचालित संस्थानों में नामांकन के पूर्व अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया में यदि किसी स्तर पर अथवा नामांकन प्रक्रिया में अथवा नामांकन के उपरांत किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी नामांकन/प्रवेश हेतु अपेक्षित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/अन्य विहित योग्यता को पूर्ण नहीं करता है तो, उसका अभ्यर्थित्व/नामांकन समाप्त कर दिया जाएगा।

16.1 ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा वांछित विवरणों को सही-सही भरा जाएगा। किसी भी त्रुटिपूर्ण विवरण अंकित करने के लिए अभ्यर्थी स्वयं दोषी होंगे तथा उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा।

17. सत्र 2024-26 में नामांकन के लिये ERC NCTE से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्बद्धता प्रदत्त जिलावार सरकारी एवं निजी प्रशिक्षण महाविद्यालय का नाम आवंटित महाविद्यालय कोड एवं स्वीकृत सीट की संख्या सहित सूची समिति के पोर्टल <https://www.deledbihar.com> पर अपलोड है।







18. नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन शुल्क

क्र० सं०	श्रेणी	आवेदन शुल्क	प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय सूची के नामांकन के बाद कुल जितने विद्यार्थियों का नामांकन उनके प्रशिक्षण संस्थान में होगा उन सभी विद्यार्थियों की कुल संख्या के अनुरार 200/- रुपये प्रति विद्यार्थी की दर से कुल राशि Demand Draft/RTGS/NEFT के माध्यम से समिति द्वारा प्रशिक्षण संस्थानों को राशि भेज दी जायेगी। अतः कोई भी प्रशिक्षण संस्थान किसी भी विद्यार्थी से कोई आवेदन शुल्क (Application Fee) नहीं लेंगे, परंतु नामांकन के दौरान नियमानुसार नामांकन शुल्क (Admission Fee) एवं अन्य देय शुल्क (Other Applicable Fee) ही लेंगे।
1	EWS/BC/EBC एवं सामान्य वर्ग	500	
2	SC/ST एवं दिव्यांग	350	

19. नामांकन हेतु चयनित विद्यार्थी एवं संबंधित प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य के लिये आवश्यक निदेश:-

19.1. 02.07.2024 को जारी किये जाने वाले प्रथम चयन सूची में चयनित विद्यार्थियों का नामांकन 03.07.2024 से 08.07.2024 तक संबंधित संस्थानों द्वारा लिया जायेगा।

19.2. संबंधित संस्थान के प्राचार्य इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि नामांकित विद्यार्थियों की सूची पोर्टल के संस्थान Login में दिनांक 03.07.2024 से 08.07.2024 तक निश्चित रूप से प्रतिदिन संध्या 5 बजे अपलोड करते रहेंगे। ऐसा करना अनिवार्य है ताकि संबंधित विद्यार्थी जो संस्थान में नामांकन लेंगे उनका सीट पोर्टल में भरा हुआ माना जाए एवं प्रथम चयन सूची के नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद संस्थानों में रिक्त सीटों की सूची पोर्टल के माध्यम से पता चल सके। इन्हीं रिक्त सीटों के आधार पर दूसरी चयन सूची का प्रकाशन किया जा सकेगा।

20. उल्लेखनीय है कि प्रथम चयन सूची के तहत नामांकन के पश्चात् कई विद्यार्थियों को द्वितीय सूची में बेहतर विकल्प प्राप्त हो सकता है, जहाँ उन्हें पुनः नामांकन कराना होगा। इसके पश्चात् हो सकता है कि तृतीय अंतिम सूची में भी विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिकता वाले विकल्प प्राप्त हो, जिसमें उनके द्वारा बेहतर विकल्प के संस्थानों में नामांकन कराया जाना संभावित है। ऐसी परिस्थिति में एक ही विद्यार्थी को एक बार से अधिक बार नामांकन कराने में बार-बार नामांकन हेतु शुल्क जमा करने में व्यावहारिक कठिनाई हो सकती है। अतः इस आलोक में नामांकन शुल्क जमा करने के संबंध में निम्नांकित प्रावधान किया गया है :-

20.1 किसी भी विद्यार्थी का प्रथम बार नामांकन के समय निर्धारित सुरक्षा शुल्क 3000/- रुपया लिया जाए।

20.2. तत्पश्चात् यदि किसी विद्यार्थी का अगामी द्वितीय चयन सूची अथवा तृतीय चयन सूची के आधार पर बेहतर विकल्प (Higher Preference) के संस्थान में चयन होता है, तो ऐसे संस्थानों में विद्यार्थी द्वारा पुनः नामांकन कराने के समय संस्थान द्वारा ऐसे विद्यार्थियों से कोई भी नामांकन शुल्क नहीं लिया जायेगा।

20.3. पूरी चयन प्रक्रिया के समाप्ति के पश्चात् (अर्थात् प्रथम चयन सूची, द्वितीय चयन सूची तथा तृतीय सूची के तहत नामांकन के पश्चात्) जो विद्यार्थी अंतिम रूप से जहाँ नामांकित रहेंगे, उस संस्थान के प्रधान द्वारा नामांकन से संबंधित शुल्क की राशि की निम्नरूपेण समीक्षा की जायेगी :-

(क) अगर यह नामांकन प्रथम नामांकन है, तो संस्थान द्वारा नियमानुसार पूरी नामांकन राशि प्राप्त की जाए।

(ख) अगर यह द्वितीय अथवा तृतीय नामांकन है, तो यह देखा जाना होगा कि विद्यार्थी द्वारा पूर्व के संस्थान में नामांकन के समय सुरक्षा शुल्क की राशि जमा की गयी है। पूर्व के संस्थान उनके द्वारा नामांकित विद्यार्थियों से लिए गए सुरक्षा शुल्क की राशि अंतिम रूप से नामांकित संस्थान को हस्तांतरित करेंगे। सभी संस्थानों के प्राचार्य विद्यार्थी के द्वारा जमा की गई

3000/- रूपए की सुरक्षा राशि को एक माह के अंदर उस विद्यार्थी के अंतिम नामांकित संस्थान को वापस को हस्तांतरित करेंगे।

21. सभी संस्थानों के प्राचार्य उनके यहाँ नामांकित अभ्यर्थियों का समिति के पोर्टल पर Updation का कार्य, इस हेतु निर्धारित अवधि के अन्तर्गत, अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में नामांकन के अंतिम अवसर पर नामांकित विद्यार्थियों के Updation के लिए निर्धारित तिथि के पश्चात्, उनके Updation का अनुरोध किसी भी परिस्थिति में विचारणीय नहीं होगा।
22. सत्र 2024-26 में डी०एल०एड० संस्थानों के प्राचार्य उपर्युक्त विहित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी माध्यम से किसी भी विद्यार्थी का नामांकन नहीं लेंगे। इस प्रक्रिया से इतर किसी भी प्रकार का नामांकन अवैध माना जाएगा। ऐसे नामांकित विद्यार्थियों को अनुवर्ती पंजीयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे तथा संबंधित संस्थान के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

क्र. सं.	कार्य	तिथि	अभियुक्ति
i	आवेदन की तिथि	20.06.2024 से 26.06.2024 तक	डी०एल०एड० प्रशिक्षण सत्र 2024-26 में नामांकन के लिये स्वीकृत कुल सीटों के विरुद्ध प्रथम चरण में चयनित विद्यार्थियों का नामांकन मेधा सूची एवं संस्थानों की प्राथमिकता Merit-Cum-Choice के आधार पर संस्थान आवंटन किया जायेगा। पुनः रिक्त सीटों के विरुद्ध क्रमिक रूप से, आवश्यकतानुसार, क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय चरण में संस्थान आवंटन उपरान्त निदेश/प्रक्रियाओं के तहत ऑनलाइन किया जायेगा। इसके अलावा नामांकन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी पोर्टल पर प्राप्त की जा सकती है।
ii	प्रथम चयन सूची जारी होने की तिथि	02.07.2024	
iii	नामांकन की अवधि	03.07.2024 से 08.07.2024 तक	
iv	प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर Login कर अंतिम रूप से सीट Updation किया जाना	09.07.2024 तक	
v	विद्यार्थियों द्वारा नामांकन के पश्चात् स्लाइड अप की प्रक्रिया के लिये ऑनलाइन आवेदन की अवधि	03.07.2024 से 08.07.2024 तक	
vi	जिस विद्यार्थी का चयन प्रथम चयन सूची में कहीं भी नहीं होता है, उसके लिये नया विकल्प भरने अथवा पूर्व के विकल्प में परिवर्तन करने की अवधि	10.07.2024 से 11.07.2024 तक	
vii	द्वितीय सूची जारी करने की तिथि	12.07.2024	
viii	द्वितीय सूची के आधार पर नामांकन अवधि	13.07.2024 से 16.07.2024 तक	
ix	प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर Login कर अंतिम रूप से सीट अद्यतन किया जाना	17.07.2024 तक	
x	तृतीय सूची जारी करने की तिथि	19.07.2024	
xi	तृतीय सूची के आधार पर नामांकन अवधि	20.07.2024 से 22.07.2024 तक	
xii	प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर Login कर अंतिम रूप से सीट Updation किया जाना	23.07.2024	

23. यदि उक्त प्रक्रिया में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो इमेल आई०डी: deledhelpdesk1@gmail.com पर अथवा मोबाईल नं० **9546114508** पर सम्पर्क किया जा सकता है।

नोट- Common Application form (CAF) ऑनलाइन भरने हेतु आवेदक का आई०डी०, उनका रोल नं० एवं पासवर्ड जन्मतिथि आधारित होगा। आवेदक के निर्बंधित मोबाईल पर भेजे गए OTP डालने पर ही (CAF) आवेदन स्वीकार होगा।

परीक्षा नियंत्रक, विविध

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

18/6/24

18/6/24